यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी जिला – बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री नाथूसिंह राठौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 24/2017

प्रार्थीनी

1. इमरती देवी पत्नी स्व0 मोटाराम
   जाति जाट निवासी आशानगर गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

विप्रार्थीगण

1. गुमना पुत्र केहरा
2. नेना पुत्र केहरा
3. धना पुत्र केसरा
4. राजू पुत्र केसरा के वारिसान
   4/1 धर्मा पुत्र राजू
   4/2 रामा पुत्र राजू
   4/3 मानीदेवी पत्नी राजू
5. जोधा पुत्र केसरा
6. वागा पुत्र केसरा
7. हनुमान पुत्र मगा
8. कुंभा पुत्र मगा
9. नेनू पत्नी मगा
10. हनुमानराम पुत्र गुमनाराम
11. पपूराम पुत्र हनुमानराम
12. नेनूदेवी पत्नी पपूराम
    जाति जाट निवासी गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
13. प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
14. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुड़ामालानी
15. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रकिया संहिता वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :

1. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीनी**
2. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थीगण**

## --:: आदेश ::--

दिनांक :– 24.04.2017

प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने यह आवेदन पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रकिया के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 9 की संयुक्त कब्जा काश्त तथा विप्रार्थी संख्या 11 से 13 का क्रय सुदा भूमि मौजा आशानगर पटवार क्षेत्र गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी में खसरा नम्बर 184 रकबा 0.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर [illegible] 26.01 बीघा, खसरा नम्बर 245/2 रकबा 4 बीघा किस्म [illegible] कुल रकबा 207 बीघा 8 बिस्वा की आई हुई है। तथा मौजा [illegible] पटवार हल्का गोलिया जैतमाल में खेत [illegible] बिस्वा किस्म बारानी सोयम की आई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में संयुक्त दर्ज होने से प्रार्थीनी एवं विप्रार्थगण के मध्य सेडों को लेकर हमेशा तनाजा रहता है। विप्रार्थीगण प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि को हड़पना चाहते हैं तथा पूर्व में किये गये बाहामी बंटवारा अनुसार प्रार्थीनी अपने हिस्से 1/9 भूमि पर काबीज काश्त है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

में अपने हिस्से से अधिक नाजायज कब्जा करने एवं प्रार्थीनी के हक हिस्से की भूमि में से अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर प्रार्थीनी को बेदखल करने पर उतारू है। यदि विप्रार्थीगण, प्रार्थीनी द्वारा अपनी वर्षों की मेहनत से उपजाऊ बनाई गई भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीनी को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में संभव नहीं है। जिससे यह आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है।

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2017 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता हुए। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। तथा पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थीनी के वकील द्वारा दौराने दावा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है, मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थीनी का जाहिर है, जिससे प्रार्थीनी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है और अगर निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो विप्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक की भूमि पर कब्जा कर बेचान करने से प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी। वकील विप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा तथा प्रार्थीनी के हक हिस्से में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अब इस न्यायालय को यह तय करना है कि क्या प्रार्थीनी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। प्रार्थीनी उक्त विवादग्रस्त आराजी में हिस्सेदार होने के नाते विवादित आराजी में हक निहित है तथा रेकर्डेड खातेदार हैं। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थीनी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त है तथा हक हिस्सों व सीमाओं को लेकर प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण के मध्य हमेशा तनाव तथा मौके पर विवाद की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझती है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम आशानगर के खसरा नम्बर 184 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नम्बर 186 रकबा 176.16 बीघा, खसरा नम्बर 245 रकबा 26.01 बीघा, खसरा नम्बर 245/2 रकबा 4 बीघा तथा मौजा कलासर के खेत खसरा नम्बर 247/2 रकबा 303.07 बीघा में विप्रार्थीगण, प्रार्थीनी के हक हिस्से की भूमि में बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाऐ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे और न ही बेचान आदि करे व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। खर्चा हर्जा प्रार्थी व विप्रार्थीगण [illegible]

आदेश आज दिनांक 24/4/17 [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested

24/4/17

( ना[illegible]ह राठौड़ )
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुढ़ामालानी